भारत सरकार **लोक सभा**
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3717**
वाणिज्य विभाग

दिनांक 11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए
भारत का व्यापार अधिशेष / घाटा

3717. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार भारत द्वारा यूनाइटेड किंगडम (यू.के.), यूरोपीय संघ (ईयू), संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और न्यूजीलैंड के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) का ब्यौरा क्या है;

(ख) जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के पूर्ववर्ती एफटीए के परिणामस्वरूप उन देशों के साथ व्यापक व्यापार घाटा होने के मद्देनजर इन एफटीए पर बातचीत करने में क्या-क्या सावधानी बरती जा रही है; और

(ग) संबंधित एफटीए पर हस्ताक्षर करने से पूर्व और बाद की अवधि के लिए जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के व्यापार अधिशेष/घाटे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) भारत ने 18 फरवरी, 2022 को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के साथ एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) पर हस्ताक्षर किए, जो 1 मई, 2022 से प्रभावी हुआ, और 24 जुलाई, 2025 को यूनाइटेड किंगडम (यूके) के साथ एक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) पर हस्ताक्षर किए, जो 15 जुलाई, 2026 से प्रभावी हुआ। इसके अलावा, भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पर 27 अप्रैल, 2026 को हस्ताक्षर किए गए हैं, जो अनुसमर्थन प्रक्रिया के अधीन है। साथ ही, भारत-यूरोपीय संघ (ईयू) मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता 27 जनवरी, 2026 को पूरी हुई। इन समझौतों का विवरण और मुख्य विशेषताएं https://www.commerce.gov.in/#/international-trade/trade-agreements. पर देखी जा सकती हैं। इन मुक्त व्यापार समझौतों की संक्षिप्त विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

- भारत–यूरोपीय संघ (ईयू) एफटीए : 96.8 प्रतिशत टैरिफ लाइन्स पर अधिमान्य बाजार पहुँच प्रदान की जाएगी, जो भारत के 99.5 प्रतिशत निर्यातों को कवर करती है। यूरोपीय संघ को होने वाले भारत के 90.7 प्रतिशत निर्यात (व्यापार मूल्य के आधार पर) समझौते के प्रवृत्त होते ही शुल्क-मुक्त हो जाएंगे।
- भारत–यूनाइटेड किंगडम सीईटीए को भारत के निर्यात के लगभग 99 प्रतिशत हिस्सों की लगभग 100 प्रतिशत व्यापार मूल्य को कवर करते हुए अभूतपूर्व शुल्क-मुक्त पहुँच प्रदान करता है। सभी शून्य-शुल्क रियायतें समझौते के प्रवृत्त होने के साथ प्रभावी हो जाती हैं। वस्त्र, रत्न एवं

आभूषण, चमड़ा एवं फुटवेयर, जैबिक रसायन, हस्तशिल्प उत्पाद तथा सिरैमिक जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों से भारत के प्रमुख निर्यातों के साथ-साथ ऑटो कलपुर्जे, मशीनरी, औषधियाँ तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे उच्च-मूल्य उत्पादों को भी यूनाइटेड किंगडम में शून्य-शुल्क पहुँच का लाभ प्राप्त हुआ है।

- भारत–न्यूज़ीलैंड एफटीए: न्यूज़ीलैंड, समझौते के प्रवृत्त होने की तिथि से कृषि-प्रसंस्कृत उत्पादों, समुद्री उत्पादों, दुग्ध उत्पादों तथा अन्य ग्रामीण आजीविका आधारित उत्पादों सहित सभी शुल्क मदों पर 100 प्रतिशत शुल्क-मुक्त बाजार पहुँच प्रदान करेगा। इससे पूर्व भारतीय निर्यातों पर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में 10 प्रतिशत तक शुल्क लगता था।
- भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए): भारत ने यूएई की 97 प्रतिशत टैरिफ लाइंस पर शुल्क-मुक्त एवं अधिमान्य बाजार पहुँच सुनिश्चित की है, जो भारत के 99 प्रतिशत निर्यातों को कवर करती है। 80 प्रतिशत से अधिक टैरिफ़ लाइन्स पर तत्काल शुल्क उन्मूलन के साथ यह भारतीय कृषकों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा अन्य व्यवसायों के लिए परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करता है।

ये समझौते व्यापक एवं विस्तृत प्रकृति के हैं तथा व्यापार एवं आर्थिक जुड़ाव के अनेक क्षेत्रों को कवर करते हैं, जिनमें भारत में निवेश संबंधी प्रतिबद्धताएँ भी सम्मिलित हैं (भारत–न्यूज़ीलैंड एफटीए के अंतर्गत 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धताएं)

(ख) मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) मुख्य रूप से संबंधित व्यापारिक साझेदार देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश बढ़ाने, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने और आर्थिक विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जाते हैं। एफटीए विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिमान्य बाजार पहुंच प्रदान करते हैं, व्यापार में तकनीकी बाधाओं (टीबीटी), स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता (एसपीएस), सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और विनियामक सहयोग आदि को दूर करने के उपायों को शामिल करते हैं। एफटीए व्यापारिक साझेदार देशों में भारतीय निर्यातकों के लिए एक स्थिर और पूर्वानुमानित व्यापार इकोसिस्टम को भी सक्षम बनाते हैं। एफटीए पर बातचीत व्यापक, संतुलित, निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से लाभकारी परिणाम प्राप्त करने के प्रयास के साथ की जाती हैं।

नए मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत शुरू करने से पहले, सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वार्ताओं के सभी चरणों में क्षेत्र-विशिष्ट हितधारकों के साथ परामर्श आयोजित किए जाएं। इस सुनियोजित दृष्टिकोण के अतिरिक्त, कार्यान्वयन के बाद, सरकार व्यापार संवर्धन, व्यापार सुगमता और किसी भी चुनौती के समाधान के माध्यम से प्रभावी एफटीए उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है।

(ग) 1 जनवरी, 2010 को भारत-दक्षिण कोरिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (सीईपीए) के कार्यान्वित होने से पहले, दक्षिण कोरिया के साथ भारत का व्यापार घाटा 2009-10 में 5.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025-26 में यह 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसी प्रकार, 1 अगस्त, 2011 को भारत-जापान आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (सीईपीए) के कार्यान्वित होने से पहले, भारत का जापान के साथ व्यापार घाटा 2010-11 में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025-26 में यह 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। 29 दिसंबर, 2022 को आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ईसीटीए) के कार्यान्वित होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का व्यापार घाटा 2021-22 में 8.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और 2025-26 में यह 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आर्थिक विकास सहित कई तरह के वैश्विक और घरेलू कारक जैसे राजनीतिक घटनाक्रम, उद्योग

की मांग, घरेलू उद्योग के लिए ऊर्जा सुरक्षा, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और विकसित होती आपूर्ति श्रृंखलाएं निर्यात और आयात सहित व्यापार के रुझानों को तय करते हैं।
